न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—175/2019/223 (2019/00175)

1. अम्बालाल पुत्र सुखदेव,
2. भागचंद पुत्र प्रहलाद,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम माण्डियावर खुर्द तहसील अंराई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकरण पुत्र नन्दा जाट, निवासी माण्डियावर खुर्द तहसील अंराई, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, ज़िला अजमेर ।
3. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक जरिये शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक, तहसील अंराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 3.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 38/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 47 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम गुन्दली, तहसील अंराई में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर मय नीव सींव के विभाजन होकर अलग—अलग खाता नंबर, खसरा नंबर, लगान आदि कायम न होने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की बुवाई जुताई को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर मय नीव सींव के विभाजन करवाकर अलग—अलग ख्याता नगर, खसरा नंबर व लगान आदि कायम कर बंटवारे की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2018 को पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उन्होंने प्रतिवादी/अपीलांट को वाद का नोटिस दिये बिना एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपीलांट को लोक अदालत का नोटिस दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । विवादित आराजी खसरा नंबर 47 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मय नीव सींव के विभाजन कर अलग–अलग खाता नंबर, खसरा नंबर, लगान आदि कायम किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 21.4.2019 को ग्राम मण्डियावर खुर्द में पटवारी हल्का के बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 22.4.2019 को किशनगढ़ जाकर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 3.5.2019 को नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.1.2017 को वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, अंराई को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश दिये थे जिस पर तहसीलदार ने विवादित भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाया है जिस पर अधी0न्याया0 ने पक्षकारान को सुनकर, सहमत होने के उपरांत वाद में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अपीलांटस ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को परेशान करने की नियत से अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 22.6.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, अंराई को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 के निर्देशों की पालना में तहसीलदार, अरांई द्वारा दिनांक 3.5.2018 को बंटवारा मय नक्शा तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये गये है । तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने के संबंध में कोई नोटिस जारी कर सूचित किया हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी उपस्थित मिला । उक्त मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट <u>प्रतिवादीगण/अपीलांटस</u> की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाकर अधी0न्यायालय को भिजवाई गई है । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखने के संबंध में अपीलांटस को नोटिस जारी नहीं किये है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0 न्याया0 द्वारा प्रकरण को दिनांक 3.5.2018 को अटल सेवा केन्द्र सान्दोलिया में रखने के संबंध में नोटिस जारी किये है किन्तु उक्त नोटिस वादी रामकरण हस्ताक्षर एवं प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 अम्बालाल को ही तामील कराये गये है जबकि प्रकरण में अन्य प्रतिवादी भागचंद पुत्र प्रहलाद भी पक्षकार है जिसे भी नोटिस तामील कराया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 समस्त पक्षकारों को कैम्प कोर्ट में प्रकरण रखने के संबंध में नोटिस तामील कराये बिना तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर राजस्व नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना नहीं कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार अंराई से स्वंय द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को बंटवारा प्रस्ताव पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर